



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/राज०/06/14/2018/एफ.सी./५५८

दिनांक: 11.10.2018

सेवा में,

शासन सचिव,
राजस्थान सरकार,
जयपुर, राजस्थान।

Online Proposal No. FP/RAJ/ROAD/20888/2018

विषय : Diversion of 2.76 ha. of forest land in favour of PWD PMGSY-WB division Shahhpura (Bhilwara, Rajasthan) for construction of SH-29 km. 139/500 to Lorda road under Rajasthan Road Sector Modernization Project.

सन्दर्भ: शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रांक-प.1(4)वन/2018, दिनांक-28.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन {संरक्षण} अधिनियम, 1980 की धारा(2) के तहत स्वीकृति माँगी गयी है।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मुझे आपको सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें-

- 1- Site inspection report submitted from CCF is silent over issue of violation of FCA-1980, though specific comments on this issue were sought EDS.
- 2- Muck Disposal issue has not been resolved, though land schedule shows construction of road with slopes requiring disposal of muck. User Agency has simply written that if muck is generated it will be disposed off outside forest area. There exists a contradiction where on one hand it is mentioned that muck will not be generated and on other hand it has been mentioned that if generated it will be disposed off outside forest area. A clarification needs to be submitted by User Agency.

भवदीय,

(के०के० तिवारी)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा, राजस्थान।
3. अधिशासी अभियन्ता, सा० नि० वि०, खण्ड-शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान।
4. वैयक्तिक सहायक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

Please provide the required information by 6.10.18

2/10/18

Secretary to Government
Forest Department
Govt. Secretariat, Jaipur.

(के०के० तिवारी)
वन संरक्षक(के.)